रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 1977/भाद्र 11, 1899

No. 168] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 1977/BHADRA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd September 1977

SUBJECT:—*Import Policy for the period April 1977—March 1978.*

No. 67-ITC (PN)/77.—Attention is invited to the Import Policy contained in the Import Trade Control Policy (Policy Book—Volumes I and II) for the period April 1977—March 1978, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC(PN)/77 dated the 27th April, 1977 The following amendments may be made at the appropriate places indicated below.—

S.No.	Page No. and Volume No. of the Policy Book	Reference	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	41 (Volume I)	Section II, Column 3, Remark No (3), against S. Nos. 51 01/03, 56 01/04 and 56 05/06.	This remark shall be deleted.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	81 (Volume I)	Section III, Group 'A' under the heading "State Trading Corporation of India, Limited (S.T C)"	The following item shall be included:— "79A.—Polyester Filament Yarn".
3.	84 (Volume)] I	Section III, Group 'C' under the heading "State Trading Corporation of India, Limited (S.T C.)"— Item No. 52— Polyester Filament Yarn.	This item shall be deleted.
4.	34 (Volume II)	Section I, Part 'B' Annexure II.	After the existing entry at S No. 68, a new entry shall be inserted as S. No. 69, as per Annexure hereto.
5.	42 (Volume II)	Section I, Part 'C' Para 106(1), sub-clause (c).	The following shall be added at the end of sub-clause (c) .— "However, Export Houses which are manufacturer-*cum*-exporters of textiles may be allowed to obtain polyester filament yarn against transferred licences They will be granted only Release Orders for such yarn in accordance with sub-clause (e) below."

2. In order to augment the availability of raw materials to textile industry, it has been decided to include the item "Polyester Filament Yarn" under Para 90 of Section I of the Policy Book (Volume I) for the period April 1977—March 1978 under the scheme of direct allotment of imported raw materials to Actual Users by the canalising agency, *vide* amendment at S No. 2 in Para 1 of this Public Notice. The following categories of Actual Users should register their requirements in respect of Polyester Filament Yarn with the S.T.C in terms of the provisions indicated in Paras 91—93 of Section I of the Policy Book (Volume I) for the period April 1977—March 1978:—

(i) Units holding industrial licences or registration certificates under item Nos. 23(1)' 23(3) and 23(5) of the 1st Schedule to the Industries (Development and Regulations) Act, 1951;

(ii) Art-silk units registered with the Textile Commissioner, Bombay, and holding permits issued by the Textile Commissioner, Bombay, including cooperative societies of powerloon owners whose looms are covered by the permits issued by the Textile Commissioner, Bombay;

(iii) Registered Associations of authorised art-silk powerloom owners;

(iv) Warp knitting machines and auto shuttle embroidery machine owners ;

(v) Hosiery and knitwear manufacturers ;

(vi) Independent crimpers, doublers and twisters;

(vii) Cooperative Societies/Registered Associations/Corporations of Handloom Weavers; and

(viii) Actual Users engaged in the manufacture of surgical sutures.

3 Exporters/nominee manufacturers who have, during the period from 22-8-1977 through 2-9-1977, entered into firm commitments by way of irrevocable letters of credit to import Polyester Filament Yarn against REP licences in accordance with the import policy for Registered Exporters then in force, will be allowed to import such yarn directly that is, without going through the canalising agency, to the exent of their entitlement, limited, however, to such firm commitment The evidence of such firm commitment will have to be furnished by the importers concerned to the satisfaction of the custom authorities at the time of clearance of the consignments concerned.

4 The import policy for Actual Users and Registered Exporters for the period April 1977—March 1978 may be deemed to have been amended accordingly.

ANNEXURE

Sl. No.	Description of items	Export products against which import will be allowed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
69	Synthetic filament yarns (excluding nylon filament yarn).	(i) Synthetic filament yarn fabrics and made up articles including embroidered falling under S. No. K. 11 (ii) and K. 11(iii). (ii) Mixed/blended fabrics and made-up articles including embriodered falling under S.No. K. 13 (ii); mixed/blended fabrics and made-up articles including embroidered containing not less than 15% synthetic filament yarn by weight and falling under S. No. K. 13 (iii) or K. 13 (iv). (iii) Ready-made garments made of synthetic fabrics produced from synthetic filament yarn (O Group). (iv) Hosiery and knitwear made of nylon/polyester filament yarn, or any combination thereof, falling under S. No o 6.	

K. V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1977

विषय.—अप्रैल 1977—मार्च 1978 अवधि के लिए आयात नीति ।

सं० 67-आई टी सी (पी एन)/77.—वाणिज्य मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 21-आई टी सी (पी एन)/77 दिनांक 27 अप्रैल, 1977 के अन्तर्गत अप्रैल 1977—मार्च 1978 की अवधि के लिए प्रकाशित की गई आयात व्यापार नियन्त्रण नीति (नीति पुस्तक

वा० I और II) में निहित आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है । निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

क्रम सं०	नीति पुस्तक की पृष्ठ सं० और वा० सं०	संदर्भ	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	41 (वा० I)	खंड II, कालम 3, अभ्युक्ति सं० (3), क्रम सं० 51.01/08, 56.01/04 और 56.05/06	यह अभ्युक्ति हटा दी जाएगी ।
2.	81 (वा० I)	खंड III, ग्रुप 'क', शीर्षक भारत का राज्य व्यापार निगम लि० (एस. टी. सी.) के अन्तर्गत	निम्नलिखित मद शामिल की जाएगी:— "79क. पोलिस्टर फिलामेंट यार्न ।"
3.	84 (वा० I)	खंड III, ग्रुप 'ग', शीर्षक 'भारत का राज्य व्यापार निगम लि० (एस. टी. सी.)' के अन्तर्गत— मद सं० 152—पोलिस्टर फिलामेंट यार्न ।	यह मद हटा दी जाएगी ।
4.	34 (वा० II)	खंड I, भाग 'ख', अनुबन्ध II	क्रम सं० 68 पर विद्यमान प्रविष्टि के बाद एक नई प्रविष्टि इसके अनुबन्ध के अनुसार क्रम स० 69 के रूप मे निविष्ट की जाएगी ।
5.	42 (वा० II)	खंड I, भाग 'ग', पैरा 106(I), उप-धारा (ग)	उप-धारा (ग) के अन्त मे निम्न-लिखित को जोड़ा जाएगा :— "लेकिन जो निर्यात गृह वस्त्रों के निर्माता-व-निर्यातक है उन्हें हस्तान्तरित लाइसेंसों के मद्दे पोलिस्टर फिलामेंट यार्न प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है । उन्हें नीचे उप-धारा (ङ) के अनुसार ऐसे धागे के लिए केवल रिहाई आदेश प्रदान किए जाएंगे ।"

2. वस्त्र उद्योग के लिये कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक बढ़ाने के विचार से यह निश्चय किया गया है कि अप्रैल 1977–मार्च 1978 के लिये नीति पुस्तक (वा० I) के खण्ड 1 के पैरा 90 के अन्तर्गत सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण द्वारा वास्तविक उपयोक्ताओं के लिये आयातित कच्चे माल के सीधे आवंटन की योजना के अन्तर्गत मद "पालिस्टर फिलामेंट यार्न" को शामिल किया जाय, देखिए इस सार्वजनिक सूचना के पैरा 1 की मद स० 2 का संशोधन । निम्नलिखित श्रेणी के वास्तविक उपयोक्ताओं को चाहिये कि वे अप्रैल 1977–मार्च 1978 के लिये नीति पुस्तक (वा० I) के खण्ड 1 के पैरा 91–93 में उल्लिखित सुविधाओं के अनुसार पालिस्टर फिलामेंट यार्न के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकताओं को राज्य व्यापार निगम के पास पंजीकृत कराएं :—

(1) वे एकक जिनके पास औद्योगिक लाइसेंस है या औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23(1), 23(3) और 23(5) के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र हैं;

(2) वे कृत्रिम रेशम के एकक जो वस्त्र आयुक्त, बम्बई के पास पंजीकृत है और उनके पास वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा जारी किये गये अनुमति पत्र है, इनमें शक्तिचालित करघों के स्वामी वाली वे सहयोग समितियां भी शामिल है जिनके करघे वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा जारी किए गए अनुमति पत्रों के अन्तर्गत आते है,

(3) प्राधिकृत कृत्रिम रेशम के शक्तिचालित करघों के स्वामियों के पंजीकृत संघ;

(4) ताना बुनने वाली मशीनें एवं आटो शटल कशीदाकारी मशीनों के स्वामी ;

(5) होजरी एव बुने हुए वस्त्रों के विनिर्माता;

(6) स्वतंत्र क्रिम्पर्स, डब्लर्स एव ट्विस्टर्स,

(7) हथकरघा बुनकरो की सहकारी समिति या/पंजीकृत संस्थाए/निगम; और

(8) शल्य सीवन के विनिर्माण मे लगे हुए वास्तविक उपयोक्ता ।

3. वे निर्यातक/नामित विनिर्माता जो 22-8-1977 से 2-9-1977 तक की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय साख पत्र के द्वारा उस समय लागू पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अनुसार आर ई पी लाइसेंसो के मद्दे पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात के लिए पक्की वचनबद्धता कर ली थी, तो ऐसी पक्की वचनबद्धता तक सीमित तथा उनकी हकदारी की सीमा तक किसी सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के माध्यम से जाए बिना ही ऐसे यार्न के सीधे आयात की अनुमति होगी । सम्बद्ध प्रेषण की निकासी के समय सम्बद्ध आयातकों को सीमाशुल्क प्राधिकारी की सन्तुष्टि के लिए ऐसी पक्की वचनबद्धता का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।

4. अप्रैल 1977—मार्च 1978 की अवधि के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं और पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

अनुबन्ध

क्रम सं०	मदों का विवरण	वे निर्यात उत्पाद जिनके बदले आयात की अनुमति दी जाएगी	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
69.	सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न (नाइलोन फिलामेट यार्न को छोड़कर)	(1) सिन्थेटिक फिलामेट यार्न के वस्त्र और बनी हुई वस्तुए, कशीदाकारी की हुई वस्तुओ सहित; क्रम सं० के 2 (2) और के० 2(3) के के अन्तर्गत आने वाली । (2) मिश्रित/सम्पृक्त वस्त्र और बनी हुई वस्तुएं, कशीदाकारी की हुई वस्तुओं सहित, क्रम स० के० 13(2) के अन्तर्गत आने वाली; मिश्रित/संम्पृक्त वस्त्र और बनी हुई वस्तुएं, कशीदाकारी की हुई वस्तुओ सहित, जिनमे वजन मे सिन्थेटिक फिलामेट यार्न की मात्रा 15 प्रतिशत से कम न हो और क्रम सं० के० 13(3) या के० 13(5) के अन्तर्गत आती है । (3) सिन्थेटिक फिलामेट यार्न (ओ ग्रुप) से उत्पादित सिन्थेटिक वस्त्रो से बनी हुई तैयार पोशाके । (4) नाइलोन/पोलिस्टर फिलामेट यार्न या उनके किसी अन्य सयोजन से बना हुआ होजरी या सलाई से बुना हुआ सामान, क्रम सं० 0.6 के अन्तर्गत आने वाला ।	

का० वें० शेषाद्रि,
मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977